समाहरणालय, कटिहार

(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

पत्रांक : (संचिका सं०– XI - 15 / 2019) .... दिनांक : ....

प्रेषक

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
बिहार पटना।

विषय :– संभावित बाढ़ वर्ष 2019 हेतु प्रभावित परिवारों / विस्थापित लोगों को शिविरों में साहाय्य / खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति हेतु खाद्यान्न सामग्री का क्रय / दर निर्धारण संबंधी निविदा सूचना संख्या–01 / 2019–20 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संभावित बाढ़ वर्ष 2019 हेतु प्रभावित परिवारों / विस्थापित लोगों को शिविर में साहाय्य / खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति हेतु खाद्यान्न सामग्री का क्रय / दर निर्धारण संबंधी निविदा सूचना संख्या–01 / 2019–20 की पाँच प्रतियाँ (सी०डी० सहित) इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त निविदा का प्रकाशन दो प्रमुख हिन्दी दैनिक एवं दो लोकल हिन्दी तथा उर्दू समाचार पत्रों मे करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथाउपर्युक्त।

विश्वासभाजन

Sd/-

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक–3941 / आ०प्र० XI - 15 / 2019 दिनांक 27/5/2019

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को निविदा की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, कटिहार को निविदा की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं निदेश है कि प्रमुख हिन्दी एवं उर्दू समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित कराते हुए जिला स्तर पर वृहत रूप से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त / सहायक वाणिज्य कर पदाधिकारी / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / जिला लेखा पदाधिकारी / जिला योजना पदाधिकारी (सभी सदस्य) कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिनांक 21.06.2019 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में पूर्वाह्न 11 बजे आहूत बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि :– वरीय उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला नजारत उप समाहर्त्ता, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी०, प्रबंधक, कटिहार को निविदा की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं निदेश है कि निविदा की प्रति जिला की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

Sd/- 27/5/19

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

L:\2019-20 Tender\Letter - 02.docx

समाहरणालय, कटिहार

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

निविदा सूचना संख्या–01 / 2019–20

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या **1240 / आ०प्र० दिनांक** 03.05.2019 के आलोक में संभावित बाढ़ **2019** को ध्यान में रखते हुए प्रभावित परिवारों के बीच सहाय्य अथवा राहत मुहैया कराने हेतु खाद्य सामग्रियों एवं अन्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए द्वि पद्धति लिफाफा विधि से निम्नलिखित सामग्रियों के आपूर्ति करने के लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता / आपूर्तिकर्त्ता सीलबंद निविदा निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार में **दिनांक 20.06.2019 के अपराहन् 5.00 बजे तक** हस्तगत करा सकते है। प्राप्त निविदायें **अगले दिन 21.06.2019 के पुर्वाहन् 11.00 बजे** अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता / आपूर्तिकर्त्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्र०	सामग्री का नाम	साईज / किस्म / ब्राण्ड	अन्य विवरण
1	2	3	4
A	**खाद्य सामग्री एवं सूखा राशन क्रय :–**		
1	चावल	स्वर्णा	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		सीता	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		परिमल	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
2	आटा	लोकल (खुला)	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		अच्छे ब्राण्ड का	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
3	चूड़ा	स्वर्णा	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		सीता	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		अन्य किस्म का	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
4	चना	देशी	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		एम०पी०	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		अस्ट्रेलियन	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		अन्य किस्म का	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
5	गुड़	रावादार (गीला)	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		सूखा (चक्की)	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
6	मूढी	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
7	दाल	अरहर	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		चना	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		मूँग (देशी)	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		मसूर	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
8	सरसों तेल	हाथी	दर प्रति 1 लीटर में अंकित होगा।
			प्रति टिन (15 किग्रा०) में अंकित होगा।
		मंगल	दर प्रति 1 लीटर में अंकित होगा।
			प्रति टिन (15 किग्रा०) में अंकित होगा।
		ईंजन	दर प्रति 1 लीटर में अंकित होगा।
			प्रति टिन (15 किग्रा०) में अंकित होगा।
		रानी	दर प्रति 1 लीटर में अंकित होगा।
			प्रति टिन (15 किग्रा०) में अंकित होगा।
		अन्य ब्राण्ड का	दर प्रति 1 लीटर में अंकित होगा।
			प्रति टिन (15 किग्रा०) में अंकित होगा।

9	जीरा (खरा)	उत्तम किस्म का	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
	जीरा (पाउडर)	एम०डी०एच०	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		अशोक	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		किचेन किंग	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		नंदनी	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		अन्य ब्राण्ड	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
	जीरा (पाउडर)	लोकल	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
	हल्दी (पाउडर)	एम०डी०एच०	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		अशोक	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		किचेन किंग	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		नंदनी	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		अन्य ब्राण्ड	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
	हल्दी (पाउडर)	लोकल	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
	लाल मिर्च (खरा)	उत्तम किस्म का	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
	लाल मिर्च (पाउडर)	एम०डी०एच०	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		अशोक	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		किचेन किंग	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		नंदनी	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		अन्य ब्राण्ड	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
	लाल मिर्च (पाउडर)	लोकल	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
	धनिया (पाउडर)	एम०डी०एच०	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		अशोक	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		किचेन किंग	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		नंदनी	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		अन्य ब्राण्ड	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
	धनिया (पाउडर)	लोकल	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
	गोल मिर्च (खरा)	उत्तम किस्म का	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
	गोल मिर्च (पाउडर)	एम०डी०एच०	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		अशोक	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		किचेन किंग	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		नंदनी	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		अन्य ब्राण्ड	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
	गोल मिर्च (पाउडर)	लोकल	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
	तेजपत्ता	उत्तम किस्म का	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
	गरम मसाला (खरा)	उत्तम किस्म का	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
	गरम मसाला (पाउडर)	एम०डी०एच०	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		अशोक	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		किचेन किंग	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		नंदनी	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
		अन्य ब्राण्ड	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
	गरम मसाला (पाउडर)	लोकल	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
10	आलू	लाल	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		उजला	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		बाहरी	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		लोकल	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
11	प्याज	नासिक	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		लोकल	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।

12	साग–सब्जी	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
13	सोयाबड़ी	Protein content 48-50%	दर प्रति किग्रा० में अंकित होगा।
14	चना सत्तु	अनूप	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		स्वास्तिक	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
15	पावरोटी	400 ग्राम का पैकेट	दर प्रति पैकेट में अंकित होगा।
		200 ग्राम का पैकेट	दर प्रति पैकेट में अंकित होगा।
		150 ग्राम का पैकेट	दर प्रति पैकेट में अंकित होगा।
16	बिस्कुट	ब्रिटेनिया टाईगर 75 ग्राम	दर प्रति पैकेट में अंकित होगा।
		ब्रिटेनिया बिकिज 250 ग्राम	दर प्रति पैकेट में अंकित होगा।
		ब्रिटेनिया मैरी गोल्ड 250 ग्राम	दर प्रति पैकेट में अंकित होगा।
17	दुध पाउडर (6 माह से 2 वर्ष के बच्चों के लिए)	लेक्टोजेन	दर प्रति 500 ग्राम में अंकित होगा।
		लेक्टोडैक्स	दर प्रति 500 ग्राम में अंकित होगा।
		अन्य ब्राण्ड का	दर प्रति 500 ग्राम में अंकित होगा।
18	आयोडीन नमक	टाटा	दर प्रति किग्रा० में अंकित होगा।
		अन्नपूर्णा	दर प्रति किग्रा० में अंकित होगा।
		अन्य ब्राण्ड का	दर प्रति 500 ग्राम में अंकित होगा।
19	चीनी	मोटा	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
B	**सेनेटरी, थैला, बोरा इत्यादि :–**		
20	सेनेटरी पेड (महिला)	Stayfree	दर प्रति पैकेट में अंकित होगा।
		Whisper	दर प्रति पैकेट में अंकित होगा।
		अच्छे किस्म का	दर प्रति पैकेट में अंकित होगा।
21	मार्किन कपड़ा का थैला	लम्बाई 2 फीट X चौड़ाई 1.5 फीट (अच्छे किस्म का)	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
22	कपड़ा का थैला बाँधने हेतु डोरी के साथ	5 किग्रा०	प्रति पीस–किग्रा० में
23	पैकेटिंग हेतु सिलाई धागा	उत्तम किस्म का	प्रति पीस–किग्रा० में
24	पैकेटिंग थैला (नायलॉन/जूट)	(5 किग्रा०) उत्तम किस्म का	प्रति थैला अंकित होगा।
			प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
		(10 किग्रा०) उत्तम किस्म का	प्रति थैला अंकित होगा।
			प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
25	मार्किन कपड़ा	उत्तम किस्म का	दर प्रति मीटर में।
26	खाली बोरा	अच्छे किस्म का (सीमेन्ट)	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
		अच्छे किस्म का (जूट)	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
27	फुल ग्लब्स (दस्ताना)	उत्तम किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
28	हेड कैप	उत्तम किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
C	**कीट :–**		
29	कीट (नारियल तेल–50ग्राम, नहाने का साबुन–75ग्राम, कपड़ा धोने का साबुन–100ग्राम, कंघी छोटा, ऐनक छोटा, सर्फ–सैसे, शैम्पू–सैसे)	ब्राण्डेड (अच्छे किस्म का रखने हेतु पैकेट/बैग सहित)	दर प्रति कीट
30	सिनेटरी किट (6 माह से 2 वर्ष के बच्चों के लिए)	अच्छे किस्म का	दर प्रति पैकेट में अंकित होगा। ब्राण्ड हो तो उसका नाम अंकित करें।

D	पंडाल आदि भाड़े पर :–		
31	खाना बनाने का सभी प्रकार का बर्त्तन	–	प्रति दिन
			प्रति माह
32	गैस सिलिंडर गैस सहित	बड़ा साईज का	प्रति नग
33	खाना बनाने का गैस भट्ठी / चुल्हा	–	प्रति दिन
			प्रति माह
34	जेनरेटर	5 के०भी०ए०	प्रति दिन
			प्रति माह
		10 के०भी०ए०	प्रति दिन
			प्रति माह
35	जेनरेटर (ईधन एवं ऑपरेटर सहित)	5 के०भी०ए०	प्रति दिन
			प्रति माह
		10 के०भी०ए०	प्रति दिन
			प्रति माह
36	सभी प्रकार के जेनरेटर से चलने वाले लाईट	मरकरी	प्रति दिन
			प्रति माह
		बल्ब	प्रति दिन
			प्रति माह
		सी०एफ०एल० बल्ब	प्रति दिन
			प्रति माह
		हैलोजेन	प्रति दिन
			प्रति माह
		पंखा	प्रति दिन
			प्रति माह
37	गैस लाईट (गैस सहित)	–	प्रति दिन
			प्रति माह
38	वाटर प्रूफ पंडाल	तिरपाल, सूती एवं प्लास्टिक	प्रति दिन
			प्रति माह
39	कुर्सी एवं टेबल	–	प्रति नग प्रतिदिन
			प्रति नग प्रतिमाह
40	फुल माईक सेट (बैट्री एवं ऑपरेटर सहित)	प्रति सेट	दर प्रति दिन में अंकित होगा।
			दर प्रति माह में अंकित होगा।
41	अतिरिक्त हॉर्न	प्रति पीस	दर प्रति दिन में अंकित होगा।
			दर प्रति माह में अंकित होगा।
42	अतिरिक्त एम्पलीफायर	प्रति पीस	दर प्रति दिन में अंकित होगा।
			दर प्रति माह में अंकित होगा।
43	अतिरिक्त साउण्ड बॉक्स	प्रति पीस	दर प्रति दिन में अंकित होगा।
			दर प्रति माह में अंकित होगा।
44	कॉडलेस माईक	प्रति पीस	दर प्रति दिन में अंकित होगा।
			दर प्रति माह में अंकित होगा।
45	अतिरिक्त माईक	प्रति पीस	दर प्रति दिन में अंकित होगा।
			दर प्रति माह में अंकित होगा।
46	दरी	सभी साईज का	प्रतिदिन
			प्रतिमाह
47	चादर	सभी साईज का	प्रतिदिन
			प्रतिमाह
48	तकिया	बड़ा	प्रतिदिन
			प्रतिमाह
49	गद्दा (तोसक)	सभी साईज का	प्रतिदिन
			प्रतिमाह

E	**वस्त्र क्रय :–**		
50	धोती	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
		साधारण किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
51	साड़ी	सुती 5.5मी० लम्बा एवं सेन्थेटिक 5.5 मी० लम्बा	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
52	गंजी	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
		साधारण किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
53	लूंगी	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
		साधारण किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
54	गमछा	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
		साधारण किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
55	ब्लाउज पीस	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
		साधारण किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
56	पेटीकोट (2 मीटर पीस)	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
		साधारण किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
57	पैन्ट (लड़की का)	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
		साधारण किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
58	फ्रॉक (लड़की का)	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
		साधारण किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
59	टी–शर्ट (लड़के का)	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
		साधारण किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
60	पैन्ट (लड़के का)	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
		साधारण किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
61	दरी	6' × 4'	प्रति 10 नग
		7' × 5'	प्रति 10 नग
62	चटाई	6' × 4'	प्रति 10 नग
F	**बर्त्तन क्रय :–**		
63	थाली	स्टील	प्रति 10 नग
		थर्मोकोल	प्रति 100 नग
		पत्तल	प्रति 100 नग
64	कटोरा	स्टील	प्रति 10 नग
		थर्मोकोल	प्रति 100 नग
		पत्तल	प्रति 100 नग
65	ग्लास	स्टील	प्रति 10 नग
		थर्मोकोल	प्रति 100 नग
66	लोटा	स्टील	प्रति 100 नग
G	**अन्य सामग्री क्रय :–**		
67	जलावन की लकड़ी (सूखी हुई)	–	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
68	मिनरल वाटर (20 लीटर जार)	उत्तम किस्म	दर प्रति जार अंकित होगा।
69	मिनरल वाटर	(500 मिली०) उत्तम किस्म	दर प्रति बोतल अंकित होगा।
		(1 लीटर)	दर प्रति बोतल अंकित होगा।
		(2 लीटर)	दर प्रति बोतल अंकित होगा।
		(5 लीटर)	दर प्रति बोतल अंकित होगा।
70	सर्फ	ब्राण्डेड	दर प्रति किग्रा०
		साधारण	दर प्रति किग्रा०
71	दियासलाई (माचिस) मंझोला साईज	–	दर प्रति नग में
			दर प्रति पैकेट में
72	मोमबत्ती	22cm X 2.5cm अच्छे किस्म का	दर प्रति कार्टून (एक कार्टून में 50)
73	मच्छरदानी	सिंगल बेड (4'X 6') अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
		डबल बेड (5'X 7') अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।

74	सामग्री की माप हेतु प्लास्टिक बाल्टी	उत्तम किस्म का (10 किग्रा)	दर प्रति सैकडा में अंकित होगा।
		उत्तम किस्म का (20 किग्रा)	दर प्रति सैकडा में अंकित होगा।
75	सामग्री की माप हेतु प्लास्टिक बर्तन मग	उत्तम किस्म का (01 किग्रा)	दर प्रति सैकडा में अंकित होगा।
		उत्तम किस्म का (02 किग्रा)	दर प्रति सैकडा में अंकित होगा।
76	सुतली प्रति किलो	उत्तम किस्म का	प्रति किग्रा०
77	रबर बैंड	उत्तम किस्म का	प्रति किग्रा०
78	टार्च बैटरी सहित	फाईवर छोटा 3 सेल	प्रति पीस

निविदा की सामान्य शर्त्त :–

1. कोई भी निविदा निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय के पश्चात् स्वीकार नहीं कियां जायेगा।
2. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबंद लिफाफा में रखते हुये पुनः उसे एक बडे लिफाफा में रखकर लिफाफा को सीलबंद कर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा जिला आपदा प्रशाखा, कटिहार में स्वयं उपस्थित होकर हस्तगत कराया जा सकता है।
3. जिस निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता का तकनीकी निविदा स्वीकृत होगा, उन्हीं का वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
4. निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को 01 (एक) सप्ताह के अन्दर इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश निर्गत की तिथि को हीं स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साइज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार समानों की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देगें।
5. सफल निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता को कार्यादेश के पश्चात् सामग्री की आपूर्ति आवश्यकता अनुसार जिला/अंचल/प्रखंड मुख्यालयों तक आदेशानुसार पहुँचाना तथा शेष सामग्री को वापस किया जाना होगा, जिसके लिए कोई परिवहन शुल्क अलग से देय नहीं होगा।
6. निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति की गई सामग्रियों से संबंधित उपलब्ध कराये गए विपत्रों का भुगतान आवंटन के उपलब्ध होने पर की जायेगी। अपरिहार्य कारणवश भुगतान में विलम्ब की स्थिति में किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान (सूद) देय नहीं होगा।
7. निविदादाताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं के विपत्र भुगतान के समय नियमानुसार करों की श्रोत पर अग्रिम कटौती करते हुये की जायेगी।
8. वित्तीय निविदा के पश्चात् आवश्यकता पड़ने पर निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ Negotiation करते हुए न्यूनतम दर निर्धारित किया जा सकता है।
9. निर्धारित न्यूनतम दर पर एक से अधिक सफल निविदादाताओं/आपूर्त्तिकर्त्ताओं के साथ एकरारनामा तथा कार्य आवंटित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. बिना कोई कारण बताये निविदा में संशोधन करने, स्थगित करने अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।
11. निविदा के साथ संलग्न् सभी कागजातों का सभी पृष्ट निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता द्वारा स्वअभिप्रमाणित एवं पृष्टांकित करना होगा।
12. सामग्री आपूर्ति करने के समय लागू G.S.T. दर हीं मान्य होगा।
13. निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता, जिसका निविदा/दर को स्वीकृत किया जाता है, उन्हें एकरारनामा से पूर्व रु० 50,000/– (पचास हजार) सुरक्षित जमा के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारण्टी के रूप में देना होगा, जो जिला पदाधिकारी, कटिहार के पदनाम से विकलनीय होगा तथा जिसकी शर्त्त वित्तीय नियमावली के अनुरूप एवं बाध्यकारी होगा।
14. निर्धारित समयसीमा के अन्दर कार्य निष्पादित/आपूर्ति नहीं करने पर सुरक्षित जमा राशि जब्त कर लिया जायेगा तथा निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है तथा अन्य निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता से निर्धारित न्यूनतम दर पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकती है।
15. खाद्यान्न की शुद्धता एवं ताजगी अनिवार्य है। निविदा में आपूर्ति किये जानेवाले सामग्रियों की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा।
16. निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता द्वारा निविदा खोलने के दिन सभी सामग्रियों का नमूना सील पैकेट में साथ लायेगें ताकि उनकी गुणवत्ता की जॉच की जा सके।
17. स्वीकृत कि गई निविदा के निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता नमूना के अनुसार सभी सामग्रियों का भंडारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास कर लेंगे, जैसे हीं उन्हें अपूर्ति करने का आदेश प्राप्त होगा, तुरन्त सामग्री की अपूर्ति करेंगे। भंडारण के लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

1 स्वीकृत किये गए नमूने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति नही किये जाने पर निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भुगतान नही किया जायेगा।

19. सामग्रियो की आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार की अग्रिम एवं परिवहन भत्ता देय नही होगा।

20. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा व्यवहार न्यायालय, कटिहार के क्षेत्राधिकार में होगा।

21. भाड़े पर आपूर्ति किये जाने वाले किसी भी सामग्री के टूट–फूट/क्षतिग्रस्त/ होने के स्थिति में सामग्री का एवं कार्यरत कर्मी के शारिरिक क्षति की सारी जवाबदेही निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता की होगी।

22. निविदा की जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार जिला से **दूरभाष संख्या–06452–239011** पर सम्पर्क किया जा सकता है एवं विस्तृत जानकारी के लिए **बेवसाईट http://katihar.bih.nic.in** पर भी देखी जा सकती है।

निविदा **की तकनीकी शर्तें :–**

1. निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता को अग्रधन राशि के रूप में रु० 50,000.00 (पचास हजार) रूपये मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट, जो निविदा प्रकाशित होने के बाद की तिथि का बना हो तथा जो जिला पदाधिकारी, कटिहार के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, कटिहार में भुगतेय हो, संलग्न् करना होगा।
2. निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता को माल एवं सेवाकर अधिनियम' 2017 (G.S.T.) के अन्तर्गत निबंधन से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा अद्यतन विवरणी संलग्न् करना होगा।
3. निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता को आयकर विभाग के अन्तर्गत निबंधन से संबंधित PAN का छायाप्रति तथा विगत 02 (दो) आकलन वित्तीय वर्षों का आयकर विवरणी संलग्न् करना होगा।
4. निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता का प्रतिष्ठान/फर्म/कम्पनी/एजेन्सी किसी विभाग या सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है, इससे संबंधित नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथपत्र मूल में संलग्न् करना होगा।
5. निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता को इस आशय का स्वघोषित शपथपत्र संलग्न् करना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्त्तें मान्य हैं।
6. निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता को को Food License Act में निबंधित होना चाहिए, जिससे संबंधित प्रमाण–पत्र का साक्ष्य संलग्न् करना होगा।
7. निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता को निविदा खोलने के समय अपूर्त्ति की जाने वाली सामग्रियों का नमूना पारदर्शी थैली में सीलबंद कर, थैली पर निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता का नाम, मोबाईल नंबर एवं पूरा पता सहित लिखकर क्रय समिति के समक्ष समर्पित करना होगा।

निविदा की वित्तीय शर्त्तें :–

1. वित्तीय निविदा कम्प्यूटर टंकित होना अनिवार्य होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कटिंग या Over Handwriting मान्य नहीं होगा।
2. वित्तीय निविदा में सामग्रियों का दर सामग्रियों के क्रमानुसार सभी अनुमान्य कर तथा परिवहन व्यय सहित अंकित करना आवश्यक होगा।
3. निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सामग्रियों का दर रुपये में अंकित करना होगा। M.R.P. शब्द मात्र (राशि रहित) अथवा सांकेतिक दर अंकित करने पर उस सामग्री के दर पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. सामग्री पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (M.R.P.) राशि का सामग्री के अनुमोदित दर से कम रहने पर अधिकतम खुदरा मूल्य (M.R.P.) राशि के अनुसार हीं भुगतान किया जायेगा।

ह० 4/5/19

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।